छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांकः 20.01.2012 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में हुई कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	**प्रो0 अशोक कुमार**	कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	**प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा**	पूर्व कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
3.	**श्री आई०सी० द्विवेदी**	(से०नि०) आई.पी.एस., 4/26, विशाल खण्ड, विजया बैंक के पास गोमती नगर, लखनऊ	सदस्य
4.	**डॉ० एन0 एम0 निगम**	अधिष्ठाता, कला संकाय, महिला महा०, किदवई नगर, कानपुर	सदस्य
5.	**डॉ० नीरज कुमार सिंह**	उपाचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
6.	**डॉ0 मुनेश कुमार**	उपाचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
7	**प्रो0 आर0सी0 कटियार**	आचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
8.	**प्रो0 शिखा मिश्रा**	आचार्या, अंग्रेजी विभाग	सदस्या
9.	**डॉ0 संजय स्वर्णकार**	उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
10.	**डॉ0 सुधान्शु पाण्डया**	उपाचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
11.	**डॉ0 राजेश कुमार**	प्रवक्ता, जीवन विज्ञान विभाग	सदस्य
12.	**डॉ0 परवेज अरनेस्ट डीन**	प्राचार्य, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर	सदस्य
13.	**डॉ0(श्रीमती) आशा रानी राय**	प्राचार्या, कानपुर विद्या मन्दिर पी0जी0 कॉलेज, कानपुर	सदस्या
14.	**डॉ0 आर0बी0 चतुर्वेदी**	प्राचार्य, पी0एस0एम0 कॉलेज, कन्नौज	सदस्य
15.	**डॉ0 भृगुपति पाण्डेय**	प्राचार्य, ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पीलीभीत	सदस्य
16.	**डॉ0 वी0के0 श्रीवास्तव**	भौतिक विज्ञान विभाग, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर	सदस्य
17.	**श्री धर्मेन्द्र वर्मा**	वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
18.	**श्री सय्यद वकार हुसैन**	कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्यो श्री अरविन्द चौधरी डॉ. एन.एम. निगम, प्रो0 शिखा मिश्रा, डॉ. सुधांशु पाण्डया, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. परवेज अर्नेस्ट डीन, डॉ. आशा रानी राय, डॉ. आर.बी चतुर्वेदी, डॉ. भृगुपति पाण्डेय, डॉ. के.पी.कामथान, एवं डॉ. वी.के. श्रीवास्तव का स्वागत करतें हुए परिषद को परिचय कराया एवं सभी सदस्यो द्वारा नवनियुक्ति अध्यक्ष प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति का स्वागत किया गया। परिषद ने पूर्व अध्यक्ष प्रो0 एच0के0 सहगल के बहुमूल्य सुझावो एवं विश्वविद्यालय के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति अभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मद सं०–1: **कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.08.2011 की कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार (कार्य परिषद के तद्दिनांकित बैठक के विनिश्चय की छायाप्रति एवं कृत कार्यवाही आख्या (Action Taken Report) संलग्न है।**

परिषद ने समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से कार्यपरिषद की सम्पन्न बैठक दिनांक 04.08.2011 के कार्यवृत्त पर सम्पुष्टि प्रदान की।

मद सं०–2: **महामहिम कुलाधिपति की अनुमति के उपरान्त शैक्षिक सत्र 2010–11 हेतु दिनांक 28 जनवरी, 2012 को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के 26 वें दीक्षान्त समारोह से परिषद को संसूचित किया जाना ।**

परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यो को दिनांक 28 जनवरी, 2012 को आयोजित होने वाले विश्वविद्यालय के 26 वें दीक्षान्त समारोह से संसूचित किया गया।

मद सं०–3: **उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त 163 नवीन पाठ्यक्रमों एवं नवीन महाविद्यालयों को दी गयी सम्बद्धता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये सम्बद्धता सम्बन्धी पृष्ठांकन आदेश से कार्य परिषद को संसूचित किया जाना ।**

उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त 163 नवीन पाठ्यक्रमों एवं नवीन महाविद्यालयों को दी गयी सम्बद्धता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये सम्बद्धता सम्बन्धी पृष्ठांकन आदेश से कार्य परिषद को संसूचित किया गया।

मद सं०–4: **कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा मे अरबन मैनेजमेंट विषय को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 7.16 (C) पर सम्मिलित किये जाने हेतु दी गयी अनुमति से कार्य परिषद को संसूचित किया जाना ।**

अरबन मैनेजमेंट विषय को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 7.16 (C) पर सम्मिलित किये जाने हेतु दी गयी अनुमति से कार्य परिषद से संसूचित किया गया।

मद सं०–5: **शासनादेश संख्या–1381/सत्तर–1–2011–18(710)/2011 दिनांक 28.11.2011 द्वारा पुस्तकालय संवर्ग के विभिन्न पदों पर निर्धारित अर्हताओं हेतु महामहिम कुलाधिपति द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 50 (6) के अन्तर्गत किये गये परिनियम संशोधन से परिषद को संसूचित किया जाना ।**

शासनादेश संख्या–1381/सत्तर–1–2011–18(710)/2011 दिनांक 28.11.2011 द्वारा पुस्तकालय संवर्ग के विभिन्न पदों पर निर्धारित अर्हताओं हेतु महामहिम कुलाधिपति द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 50 (6) के अन्तर्गत किये गये परिनियम संशोधन से परिषद को संसूचित किया गया।

मद सं०–6: **शासनादेश संख्या–1643/सत्तर–1–2011–15(32)/81 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 द्वारा वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के पारिश्रमिक की निर्धारित अधिकतम सीमा में वृद्धि किये जाने से कार्य परिषद को संसूचित किया जाना ।**

शासनादेश संख्या–1643/सत्तर–1–2011–15(32)/81 दिनांक 25 नवम्बर, 2011 द्वारा वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के पारिश्रमिक की निर्धारित अधिकतम सीमा में वृद्धि किये जाने से कार्य परिषद को संसूचित किया गया।

परिषद द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए एक समिति बनाकर यह परीक्षण करा लिया जाये कि एक दिन मे एक शिक्षक को कितनी उत्तर पुस्तिकाओ का मूल्यांकन करना चाहिए। समिति यह भी परीक्षण करेगी कि क्या शिक्षक के अतिरिक्त अन्य विभागो में कार्यरत् अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियो को भी परीक्षक बनाया जा सकता है ?

मद सं०–7: **विश्वविद्यालय से पूर्व में सम्बद्ध सरस्वती महाविद्यालय, सैनपुर अछल्दा, औरैया (वर्तमान स्थिति सरस्वती महाविद्यालय, नियर टिक्सी टैम्पल, इटावा) की बी०ए० एवं बी०एड० पाठ्यक्रम की सम्बद्धता, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2652/सत्तर–6– 2011–2(148)/2011 दिनांक 21.11.2011 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पृष्ठांकन आदेश संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./4128/2011 दिनांक 29.11.2011 द्वारा सम्बद्धता समाप्त किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही से परिषद को संसूचित किया जाना ।**

विश्वविद्यालय से पूर्व में सम्बद्ध सरस्वती महाविद्यालय, सैनपुर अछल्दा, औरैया (वर्तमान स्थिति सरस्वती महाविद्यालय, नियर टिक्सी टैम्पल, इटावा) की बी०ए० एवं बी०एड० पाठ्यक्रम की सम्बद्धता, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2652/सत्तर–6– 2011–2(148)/2011 दिनांक 21.11.2011 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के पृष्ठांकन आदेश संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./4128/2011 दिनांक 29.11.2011 द्वारा सम्बद्धता समाप्त किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही से परिषद को संसूचित किया गया ।

मद सं०–8: **(क) कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.08.2011 के मद संख्या 4 पर सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित निम्नांकित शैक्षणिक विभागों में शैक्षिक पदों के विज्ञापन संख्या–सी.एस.जे.एम.यू./02/2010 दिनांकः 16.03.2011 एवं विज्ञापन संख्या– सी.एस.जे.एम.यू./03/2010 दिनांकः 08.06.2010 द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों पर आहूत चयन समिति की संस्तुतियों के उपरान्त 120 दिवस व्यतीत होने एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी/मार्च 2012 में सम्पन्न कराये जाने की वजह से लगी आचार संहिता के क्रम में प्रकरण को महामहिम श्री राज्यपाल को सन्दर्भित किये जाने पर विचार।**

(i) शारीरिक शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के 01 पद (अनारक्षित) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांकः 09 मई, 2011

(ii) शारीरिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 03 पदों (अनारक्षित) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांकः 09 मई, 2011

(iii) फूड टैक्नालॉजी विभाग में प्रवक्ता के 06 पदों (03 अनारक्षित, 01 ओ०बी०सी० तथा 01 एस०सी०) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांकः 10 मई, 2011

(iv) चित्रकला विभाग में उपाचार्य के 01 पद (अनारक्षित) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 10 मई, 2011

(v) चित्रकला विभाग में प्रवक्ता के 03 पदों (01 अनारक्षित, 02 एस०सी०) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 10 मई, 2011

(vi) संगीत विभाग में प्रवक्ता के 04 पदों (02 अनारक्षित, 01 ओ०बी०सी०, 01 एस०सी०) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 11 मई, 2011

(vii) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एण्ड ट्यूरिज्म मैनेजमेण्ट में उपाचार्य के 02 पदों (01 अनारक्षित, 01 ओ0बी0सी0) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 11 मई, 2011

(viii) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एण्ड ट्यूरिज्म मैनेजमेण्ट में प्रवक्ता के 04 पदों (02 अनारक्षित, 01 ओ0बी0सी0, 01 एस0सी0) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 11 मई, 2011

(ix) सोशल वर्क विभाग में प्रवक्ता के 02 पदों (01 अनारक्षित, 01 एस0सी0) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 12 मई, 2011

(x) एम0 फिल0 (समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम हेतु में प्रवक्ता के 02 पदों (01 अनारक्षित, 01 एस0सी0) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 12 मई, 2011

(xi) इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेण्ट में उपाचार्य के 06 पदों (03 अनारक्षित, 02 ओ0बी0सी0, 01 एस0सी0) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 13 मई, 2011

(xii) इन्स्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेण्ट में प्रवक्ता के 09 पदों (04 अनारक्षित, 04 एस0सी0, 01 एस0टी0) हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 13 एवं 14 मई, 2011

परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विज्ञापित रिक्त पदों पर आहूत चयन समिति की संस्तुतियों के उपरान्त 120 दिवस व्यतीत होने एवं विभिन्न पदो पर विज्ञापन हेतु योग्यता के सम्बन्ध में शासनादेशो का पालन किया गया है या नही ? इस सम्बन्ध में विधिक परामर्श प्राप्त कर लिया जाये। तत्पश्चात् वस्तुस्थिति से महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी को प्रकरण से अवगत कराते हुए आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जाये।

(ख) शिक्षणेत्तर संवर्ग के कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रिक्त 03 पदों (01 अनारक्षित, 01 ओ0बी0सी0, 01 एस0सी0) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किये गये विज्ञापन संख्या– सी.एस.जे.एम.यू./03/2009 दिनांक: 08.06.2009 एवं पुनः विज्ञापन संख्या–सी.एस.जे.एम.यू./05/2010 दिनांक: 27.12.2010 के क्रम में दिनांक: 06, 07 एवं 08 मई, 2011 को सम्पन्न चयन समिति की संस्तुतियों के उपरान्त 120 दिवस व्यतीत होने एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी/मार्च 2012 में सम्पन्न कराये जाने की वजह से लगी आचार संहिता के क्रम में प्रकरण को महामहिम श्री राज्यपाल को सन्दर्भित किये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विज्ञापित रिक्त पदों पर आहूत चयन समिति की संस्तुतियों के उपरान्त 120 दिवस व्यतीत होने एवं विभिन्न पदो पर विज्ञापन हेतु योग्यता के सम्बन्ध में शासनादेशो का पालन किया गया है या नही ? इस सम्बन्ध में विधिक परामर्श प्राप्त कर लिया जाये। तत्पश्चात् वस्तुस्थिति से महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति जी को प्रकरण से अवगत कराते हुए आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जाये।

मद सं०–9: परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 03.08.2011 के मद संख्या 1(ड.) पर पी.एच–डी. उपाधि से कुल शोधार्थी 94, बैठक दिनांक 24.10.2011 के मद संख्या 1(च)(5) पर पी.एच–डी. उपाधि से कुल शोधार्थी 75 तथा परीक्षा समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांक 12.01.2012 मे प्रस्तुत होने वाले पीएच.डी के कुल शोधार्थी 126 एवं डी.लिट् के एक शोधार्थी को अलंकृत किये जाने के निर्णय के अनुमोदन पर विचार ।

परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 03.08.2011 के मद संख्या 1 (ड.) पर पी.एच – डी. उपाधि से कुल शोधार्थी 94, बैठक दिनांक

24.10.2011 के मद संख्या 1(च)(5) पर पी.एच–डी. उपाधि से कुल शोधार्थी 75 एवं दिनांक 10.01.2012 तक सम्पन्न मौखिकी परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले पीएच.डी के कुल शोधार्थी 126 एवं डी.लिट् के एक शोधार्थी को अलंकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस प्रकार कार्यपरिषद द्वारा 26 वें दीक्षान्त समारोह में कुल 405 पी.एच.डी शोधार्थियों एवं दो डी.लिट् शोधार्थियो को अलकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

परिषद द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में एक शोध संस्थान का विकास किया जाना चाहिए जिसका लाभ शोध करने वाले छात्रो को निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् मिल सके। शोध कार्य की गुणवत्ता के लिये आवश्यक है कि शोध ग्रन्थ जमा होने के पूर्व शोध पत्र का प्रकाशन किसी जर्नल में भी होना चाहिए।

मद सं०–10: **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की शैक्षिणिक सत्र 2011–12 से परीक्षा शुल्क में की गयी बढ़ोत्तरी पर पुनर्विचार ।**

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार किया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2011–12 से लागू परीक्षा शुल्क को कम किया जाना चाहिए। इसके परीक्षण के लिए समिति बनाने का निर्णय लिया गया। समिति अपनी आख्या वित्त समिति की मार्च में प्रस्तावित बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगी। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि स्ववित्तपोषित सभी महाविद्यालय परीक्षा शुल्क जमा कर दे। समिति की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त अतिरिक्त अधिक लिया गया शुल्क महाविद्यालय को वापस कर दिया जायेगा या अगले वर्षो की परीक्षाओ के परीक्षा शुल्क में समायोजन कर लिया जायेगा।

मद सं०–11: **फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली (अनुदानित महाविद्यालय) को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ का सहायक महाविद्यालय बनाने हेतु प्राचार्य के अनुरोध पर विश्वविद्यालय की अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।**

परिषद द्वारा सर्वसम्मति से फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली (अनुदानित महाविद्यालय) को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ का सहायक महाविद्यालय बनाने हेतु प्राचार्य के अनुरोध पर विश्वविद्यालय की अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार करते हुए कुलपति जी को न्यायोचित निर्णय लिए जाने के लिए अधिकृत किया गया।

मद सं०–12: **(क) कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.08.2011 द्वारा डॉ0 कमला द्विवेदी, सेवानिवृत्त उपाचार्या, को प्रोफेसर पद पर कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 कमला द्विवेदी से प्राप्त पुनर्विचार हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार ।**

परिषद द्वारा सर्वसम्मति से कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.08.2011 द्वारा डॉ0 कमला द्विवेदी, सेवानिवृत्त उपाचार्या, को प्रोफेसर पद पर कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 कमला द्विवेदी से प्राप्त पुनर्विचार हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए कार्यपरिषद के सदस्य प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढा को न्यायोचित निर्णय लिए जाने के लिए अधिकृत किया गया। प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढा से प्राप्त आख्या को आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलाधिपति महोदय को सन्दर्भित किया जायेगा ।

(ख) कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.08.2011 द्वारा डॉ0 आर.आर. शर्मा , सेवानिवृत्त उपाचार्य, को प्रोफेसर पद पर कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 आर.आर. शर्मा से प्राप्त पुनर्विचार हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार ।

परिषद द्वारा सर्वसम्मति से कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.08.2011 द्वारा डॉ0 आर.आ शर्मा, सेवानिवृत्त उपाचार्य, को प्रोफेसर पद पर कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे डॉ0 आर.आर.शर्मा से प्राप्त पुनर्विचार हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए कार्यपरिषद के सदस्य प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढा को न्यायोचित निर्णय लिए जाने के लिए अधिकृत किया गया। प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढा से प्राप्त आख्या को आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलाधिपति महोदय को सन्दर्भित किया जायेगा ।

मद सं०–13: **विश्वविद्यालय परिसर में पूर्ण चन्द्र गुप्त पत्रकारिता संस्थान के निमित्त कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.8.2011 के अनुपूरक सूची के मद संख्या 04 पर लिये गये निर्णय के दृष्टिगत उक्त संस्थान को प्रारम्भ किये जाने हेतु विश्वविद्यालय को दिये गये 05 लाख रू0 वित्तीय सहायता से स्कॉलरशिप/मेडल प्रदान किये जाने पर प्राप्त प्रस्ताव पर विचार ।**

परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर में पूर्ण चन्द्र गुप्त पत्रकारिता संस्थान के निमित्त कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04.8.2011 के अनुपूरक सूची के मद संख्या 04 पर लिये गये निर्णय के दृष्टिगत उक्त संस्थान को प्रारम्भ किये जाने हेतु विश्वविद्यालय को दिये गये 05 लाख रू0 वित्तीय सहायता से स्कॉलरशिप/मेडल प्रदान किये जाने पर प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

मद सं०–14: **विश्वविद्यालय परिसर स्थित यू0आई.ई.टी के डिपार्टमेण्ट आफ इन्फारमेशन टेक्नॉलॉजी में उपाचार्य पद पर नियुक्त किये गये निम्नांकित शिक्षकों के अनुरोध जिसमें उन्होने अपनी सेवायें उपाचार्य पद पर देने एवं वेतन प्रवक्ता पद का दिये जाने का अनुरोध किया है, के अनुमोदन पर विचार ।**

1. **डॉ0 राशि अग्रवाल, प्रवक्ता, डिपार्टमेण्ट आफ इन्फारमेशन टेक्नॉलॉजी**
2. **श्री अनिल कुमार यादव, प्रवक्ता, कम्प्यूटर एप्लीकेशन**

परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर स्थित यू0आई.ई.टी के डिपार्टमेण्ट आफ इन्फारमेशन टेक्नॉलॉजी में उपाचार्य पद पर नियुक्त किये गये डॉ0 राशि अग्रवाल एवं श्री अनिल कुमार यादव के अनुरोध, जिसमें उन्होने अपनी सेवायें उपाचार्य पद पर देने एवं वेतन प्रवक्ता पद का दिये जाने का अनुरोध किया है, पर यह निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर अगली कार्यपरिषद की बैठक मे विचार किया जायेगा।

मद सं०–15: **प्रो0 ए0एल0 जाटव, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग के द्वारा पूर्व संस्था (सी.एस.ए. विश्वविद्यालय, कानपुर) में आहरित किये जा रहे मूल वेतन रू0 54830/– को संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।**

समग्र परिषद द्वारा विचारोपरान्त प्रो0 ए0एल0 जाटव, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग के द्वारा पूर्व संस्था (सी.एस.ए. विश्वविद्यालय, कानपुर) में आहरित किये जा रहे मूल वेतन रू0 54830/– को संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु पर अगली कार्यपरिषद की बैठक पर विचार किया जायेगा।

मद सं०—16: **विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक सत्र 2012—13 से निम्नांकित विभाग/विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किये जाने पर विचार :**

1. **हिन्दी एवं संस्कृत विषयों हेतु भाषा विज्ञान विभाग ।**
2. **जर्मन, फ्रेन्च एवं स्पेनिश हेतु यूरोपियन लैन्वेजेस विभाग ।**
3. **सेण्टर फॉर गाँधीयन स्टडीज ।**

परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक सत्र 2012—13 से हिन्दी एवं संस्कृत विषयों हेतु भाषा विज्ञान विभाग, जर्मन, फ्रेन्च एवं स्पेनिश हेतु यूरोपियन लैन्वेजेस विभाग एवं सेण्टर फॉर गाँधीयन स्टडीज विभाग/विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यक्रमो को प्रयोजनमूलक एवं रोजगार परक दृष्टि कोण से तैयार किया जाये।

मद सं०—17: **छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर दलित/पिछड़ा वर्ग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन कल्यानपुर कानपुर के प्रत्यावेदन के क्रम मे विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारियो एवं उनके आश्रितो को बीमा कम्पनी के माध्यम से स्वास्थ बीमा योजना का लाभ दिलाये जाने पर विचार।**

परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर दलित/पिछड़ा वर्ग कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन कल्यानपुर कानपुर के प्रत्यावेदन के क्रम मे विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारियो एवं उनके आश्रितो को बीमा कम्पनी के माध्यम से स्वास्थ बीमा योजना का लाभ दिलाये जाने का निणर्य लिया गया। परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस योजना में विश्वविद्यालय परिसर मे कार्यरत् शिक्षको को भी सम्मिलित किया जाये।

मद सं०—18: **अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।**

1. जागरण कालेज ऑफ आर्टस, साइन्स एण्ड कामर्स, कानपुर के— पोस्ट ग्रेजुवेट डिप्लोमा इन ट्रैवल एण्ड टूरिज्म मैनेजमैन्ट कोर्स के संचालन हेतु कुलपति जी द्वारा दी गयी अनुमति के सम्बन्ध मे परिषद को संसूचित किया गया।

अन्त में माननीय कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो० अशोक कुमार)
कुलपति

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव